न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थितः इन्द्रीश कुमार, ''एच०जे०एस० ''

सत्र परीक्षण सं०-570/2017

राज्य बनाम **1-** किशनवीर पुत्र विद्याराम,

2- श्रीमती लीलावती पत्नी विद्याराम

निवासीगण- ग्राम छितरई, पचोखरा

थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद।

.... अभियुक्तगण

धारा-498A,304B/34,302/34,

201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज

प्रतिषेध अधिनियम।

थाना- पचोखरा, जिला फिरोजाबाद।

मुकदमा अपराध सं०-128/2017

निर्णय

पुलिस थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त किशनवीर व श्रीमती लीलावती के विरूद्ध धारा 498A, 304B, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध धारा 304B भा०दं०सं० अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्तगण का वाद सत्र सुपुर्द किया गया, जो श्रीमान सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेशानुसार अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग चलाया गया।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन इस प्रकार से हैं कि वादी मुकदमा शुभम कुमार पुत्र स्व० श्री नीरज सिंह गांव टीकरी थाना नगला सिंधी जिला फिरोजाबाद ने दिनांक 30.04.2017 का थाना पचोखरा जिला फिरोजाबाद पर इस आशय की टाइपशुदा तहरीर प्रस्तुत की कि उसकी बहन कु० प्रिया का विवाह विगत वर्ष 16 अप्रैल 2016 को किशनवीर पुत्र श्री विद्याराम निवासी गांव छितरई थाना पचोखरा जिला फिरोजाबाद के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था। वादी व उसकी विधवा मॉ श्रीमती अनीता देवी ने अपनी हैसियत से अधिक शादी में सारा सामान दिया। शादी के बाद से ही उसकी बहन कु० प्रिया से उसका पति श्री किशनवीर, जेठ नौनिहाल सिंह, जिठानी ऊषा देवी व

अंजली (जेठ की लड़की) दहेज के लिये आये दिन प्रताड़ित व मारपीट करने लगे जिसकी शिकायत उसकी बहन प्रिया ने उसे व उसकी माँ को फोन से व मायके आने पर कई बार की। जिसका उसने व अन्य लोगों ने कई बार प्रिया की ससुराल वालों से बात कर दहेज के बारे में मांग पूरी न करने में असर्थता व्यक्त की इसके बाद यह लोग प्रिया को ज्यादा प्रताड़ित करने लगे, हद तो तब हो गयी जब जिठानी ऊषा देवी, भतीजी अंजली, पति किशनवीर, जेठ नौनिहाल सिंह व सास लीलावती को पता चला कि प्रिया गर्भ से है तो यह सभी लोग उसकी बहन के ऊपर गर्भ गिराने का जबरदस्ती दबाव बनाने लगे जिसका उसकी बहन प्रिया ने पूरजोर विरोध किया व उसे फोन पर उक्त के सम्बंध में जानकारी दी और आशंका व्यक्त की कि ये लोग पति किशनवीर, जेठ नौनिहाल, जिठानी ऊषा देवी व भतीजी (जेठ की लड़की) अंजली एवं सास लीलावती उसके साथ षड़यन्त्र कर उसकी व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर सकते हैं। दिनांक 25.04.2017 को रात्रि को भी फोन कर प्रिया ने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि'' मेरे पति किशनवीर के मेरी छोटी छिठानी ऊषा देवी के साथ अबैध सम्बंध हैं।'' उसे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उसकी बहन को इन पाँचों व्यक्तियों ने जबरदस्ती जहर खिलाकर दिनांक 26.04.2017 की सुबह मार दिया। उसके द्वारा जब प्रिया के पति किशनवीर से मोबाइल से संम्पर्क करने पर सही जबाब नहीं दिया गया तब उसने इन लोगों से कहा कि मैं जब तक फरीदाबाद से नहीं आ जाता तब तक मेरी बहन के शव को बिना पोस्टमार्टम कराये अंतिम संस्कार की कोशिश भी मत करना किन्तु इन लोगों ने उसके पहुंचने से पहले उसकी बहन का अंतिम संस्कार भी कर दिया और सबूतों को नष्ट करने का अक्षम्य कार्य किया। यह घटना जहर देकर मारने की दिनांक 26.04.2017 सुबह लगभग 10.00 बजे की है। यह कहते हुए रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

वादी की उक्त टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना पचोखरा जिला फिरोजाबाद पर मुकदमा अपराध सं०-128/2017 धारा 498A, 304B, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण पति किशनवीर, जेठ-नौनिहाल, सास-लीलावती, जिठानी-ऊषा देवी व अंजली-जेठ की लड़की के विरूद्ध दर्ज कर चिक प्रदर्श क-2 अंकित की गयी और जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-3 में मुकदमा कायमी का उल्लेख किया गया। पुलिस

द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहों के बयान अंकित किये, घटनास्थल का नक्शानजरी प्रदर्श क–4 तैयार किया और विवेचना पूरी करने के उपरान्त अभियुक्तगण किशनवीर व श्रीमती लीलावती के विरूद्ध धारा 498A, 304B, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–5 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के बयानों से अभियुक्तगण नौनिहाल सिंह, ऊषा देवी व अंजली का घटना में शामिल होना नहीं पाया गया और उनके विरूद्ध विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया।

अभियुक्तगण किशनवीर व श्रीमती लीलावती के विरूद्ध धारा 498A,304B/34 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप लगाये गये तथा विकल्प के रूप में धारा 302 सपठित 34 भा०दं०सं० के भी आरोप लगाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए पी०डब्लू०–1 शुभम, पी०डब्लू०–2 श्रीमती अनीता देवी, पी०डब्लू०–3 कां० सोवरन सिंह, पी०डब्लू०–4 डा० मुकेश गोयल, पी०डब्लू०–5 क्षेत्राधिकारी प्रेम प्रकाश यादव, पी०डब्लू०–6 क्षेत्राधिकारी धर्मेन्द्र कुमार यादव के बयान अंकित कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से तहरीरी रिपोर्ट वादी प्रदर्श क–1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, नकल जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 व आरोप पत्र प्रदर्श क–5 को साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई भी साक्ष्य पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इन्कार किया तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया और गांव प्रधान के चुनाव की रंजिश के कारण मुकदमा चलना बताया है।

अभियुक्तगण को अपने बचाव में डी०डब्लू०–1 मुकेश कुमार को परीक्षित कराया गया है इसके अतिरिक्त पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्तगण की ओर से और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पी०डब्लू०–1 शुभम जो कि वादी मुकदमा है तथा मृतिका कु० प्रिया का भाई है ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह बात कही है कि मैं कक्षा10 तक पढ़ा लिखा हूं। मेरा मोबाइल नं० 7053886861 है। दूसरा मोबाइल नं० 9811010561 है। दिनांक 30.04.2017 को मैंने कोई भी प्रार्थना पत्र थाना पचोखरा में अपनी बहन की हत्या के सम्बंध में नहीं दिया था। प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर मेरे है। दोनों फोन नम्बर भी मेरे है और दिनांक भी मेरे हस्तलेख में है। गवाह ने तहरीर प्रदर्श क–1 की शिनाख्त की है। गवाह ने आगे यह भी कहा है कि मेरी बहन का नाम प्रिया था जो मुझसे छोटी थी। उसकी शादी मैंने दिनांक 16.04.2016 को किशनवीर के साथ की थी। मेरी बहन गर्भवती भी थी। मेरे पास उसकी मौत की सूचना पहुंची थी फिर स्वयं कहा कि मौत की सूचना नहीं पहुंची थी। आगरा के किसी हॉस्पीटल में मेरी बहन भर्ती करायी गयी थी उसकी सूचना मुझे मिली थी। तहरीर प्रदर्श क–1 पर मैंने बिना पढ़े लिखे ही दस्तखत कर दिये थे क्या लिखा है नहीं पता था। मैंने आज ही तहरीर पढ़ी है इस तहरीर प्रदर्श क–1 में सारी बाते गतत लिखी हैं कैसे लिख दी, किसने लिख दी मुझे नहीं पता है, हॉ यह बात सही है कि तहरीर प्रदर्श क–1 पर मेरे हस्ताक्षर है तथा मोबाइल नं० भी लिखे है और दिनांक भी मैंने खुद लिखी है। जिरह के दौरान इस साक्षी ने यह बात कही है कि मुझे अपनी बहन के पेट दर्द की सूचना मिली थी। यह सूचना मेरे बहनोई किशनवीर ने मुझे फोन से सुबह 4.00 बजे दी थी। मैं अपनी बहन की भर्ती से पहले आगरा अस्पताल पहुंच गया था। जब मैं अस्पताल पहुंचा था तो उस समय मेरी बहन के साथ मेरी मॉ, मेरे बहनोई किशनवीर, मेरे परिवार के व मेरे बहनोई के परिवार के कुछ लोग थे। मैंने तथा मेरी मॉ ने व बहनोई किशनवीर ने मेरी बहिन प्रिया को अस्पताल में भर्ती कराया था। मेरी तथा मेरी मॉ की प्रिया से बात हुई थी तो उसने बताया था कि मेरे पेट में दर्द है जिस दिन बहिन प्रिया को अस्पताल आगरा में भर्ती कराया था उसी दिन मेरी बहन प्रिया की मृत्यु हो गयी थी। बहिन की मृत्यु के बाद बहिन की लाश को मैं, मेरी मॉ मेरे परिवार के लोग व बहनोई किशनवीर व किशनवीर के परिवार के लोग तथा रिश्तेदार शामिल थे। बहिन की लाश से मुखागिनी (दाग) किशनवीर ने लगाया था। तेरह दिन तक मैं गांव छितरई में ही रहा था। मेरी मॉ व मेरे परिवार के लोग भी वहीं रहे थे और आते जाते रहे थे। गवाह ने आगे यह भी कहा है कि इस घटना की बाबत किसी पुलिस अधिकारी ने मेरा कोई बयान नहीं

लिया था। मेरी बहिन प्रिया अपने पति किशनवीर के साथ न्यारी रहती थी। अलग रहती थी। मेरी बहिन प्रिया ने शादी के बाद व मृत्यु से पूर्व मुझसे मेरी मॉ से व अन्य किसी परिजन से कोई भी शिकायत अतिरिक्त दहेज की मॉग व उत्पीड़न करने के विषय में नहीं की थी। किशनवीर के माता पिता गांव से एक किलोमीटर दूर खेत पर निवास करते है जहां पर मकान बना है। किशनवीर के शेष भाई अलग–अलग निवास करते हैं। किशनवीर के पिता ने किशनवीर व उनके सभी भाईयों का खेत व मकान अलग–अलग बांट रखा है। थाना मैं इन्सपेक्टर पचोखरा के बुलाने पर गया था वहां पर मैंने तहरीर प्रदर्श क–1 पर दस्तखत किये थे तब इन्सपेक्टर पचोखरा ने यह कहकर करवाये थे कि आपको अपनी बहिन की मृत्यु के सम्बंध में कोई शिकायत नहीं है। इसलिये यह दस्तखत करा रहे हैं। मैंने किसी भी पुलिस वाले को यह नहीं बताया कि मेरी बहिन के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के लिये उत्पीडित करते हैं, मारपीट करते है और अतिरिक्त दहेज की मांग करते है और न मैंने इस तरह की कोई भी बात किसी पुलिस वाले को लिखकर दी थी। यह सही है कि किशनवीर, नौनिहाल लीलावती, ऊषा देवी, अंजली ने मेरी बहिन को कभी भी न तो अतिरिक्त दहेज के लिये उत्पीडित किया है और ना ही उसे प्रताडित कर अतिरिक्त दहेज की मांग की है और न इस विषय में उसकी हत्या की है। मेरी बहिन ने कभी भी यह भी नहीं बताया कि उसके पल रहे बच्चे गर्भ में उसकी हत्या कर सकते है। प्रिया ने मुझे यह भी कभी नहीं बताया कि किशनवीर के ऊषा देवी से अबैध सम्बंध हैं। मुझे किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली कि प्रिया को किशनवीर, लीलावती व इनके अन्य परिवारीजनों ने दिनांक 26.04.2017 को जहर खिलाकर हत्या कर दी हो। मेरी किशनवीर के मोबाइल पर यह बात नहीं हुई थी कि जब तक मैं फरीदाबाद से आ ना जाऊ तब तक प्रिया की लाश को बिना पोस्ट मार्टम कराये अंतिम संस्कार मत करना, यह सही है कि किशनवीर, लीलावती व उनके अन्य किसी परिजन ने प्रिया की लाश को अंतिम संस्कार करके सबूत नष्ट नहीं किये है। प्रिया मेरी बहिन की मृत्यु स्वाभाविक पेट दर्द होने के कारण हुई थी। मैं अपनी बहिन प्रिया की ससुराल शादी के बाद गया तब वह मुझे हमेशा खुश मिली थी। दिनांक 26.04.2017 को दिनांक 30.04.2017 तक मुझे किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया था कि प्रिया ने जहर खाया है और न यह बताया कि उसे किशनवीर, लीलावती एवं अन्य उसके किसी परिजन ने जहर खिलाया

हो। मेरी बहिन प्रिया अपने पति किशनवीर के साथ जसवीर सिंह के उत्तर दिशा में स्थित वाले मकान में विश्राम करती थी। मेरे सामने व मेरी जानकारी में दिनांक 01.05.2017 को गांव छितरई में पुलिस (सी०ओ० साहब) नहीं आये थे। मेरे सामने व मेरी जानकारी में कोई भी जहर सम्बंधी रैपर बरामद नहीं हुआ था। यह बात सही है कि मैं दिनांक 26.04.2017 से 13 दिन तक गांव छितरई बहिन की ससुराल में ही रहा था। यह कहना सही है कि किशनवीर, नौनिहाल सिंह, लीलावती, ऊषादेवी व अंजली ने कभी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की और न ही प्रिया का उत्पीड़न किया। यह कहना सही है कि उक्त लोगों ने प्रिया से अतिरिक्त दहेज की मांग न पूरी होने पर उसकी हत्या नहीं की थी। मेरी बहिन की मृत्यु की जानकारी मुझे आगरा अस्पताल में हुई थी। अस्पताल आगरा का नाम मुझे ध्यान नहीं है। मेरी बहिन प्रिया जब भी अपने गांव मायके आती थी तो सदैव खुशहाल अवस्था में आती थी।

पी०डब्लू०-2 श्रीमती अनीता देवी जो कि मृतिका प्रिया की माँ है ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह बात कही है कि मेरे नौ संताने थी। छठे नम्बर की बेटी का नाम प्रिया था जिसकी शादी मैंने किशनवीर से की थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी बेटी प्रिया आज से करीब नौ महीने पहले अपनी ससुराल में जब वह तीन महीने की गर्भवती थी मर गयी थी। मेरे बेटे का नाम शुभम है। प्रिया की मौत का मुकदमा शुभम ने लिखाया था। प्रिया की मौत की खबर सुनकर मैं तथा शुभम दोनों प्रिया के घर गये थे मुझे प्रिया की लाश मिली थी ससुराल वाले भी मुझे मिले थे। मैंने पूछा था कि कैसे मर गयी तो बताया था कि पेट में दर्द की वजह से मर गयी थी। उसे इलाज के लिये आगरा किशनवीर तथा हमलोग ले गये थे। मैं भी आगरा गयी थी तब मेरी बेटी प्रिया जिन्दा थी आगरा में प्रिया तुरन्त ही अस्पताल में खत्म हो गयी थी। प्रिया के गर्भ का इलाज मैंने नहीं कराया था। उसके ससुरालीजनों ने कराया था। शादी के एक साल बाद ही प्रिया अपनी ससुराल में मर गयी थी। शुभम ने मुझे यह नहीं बताया था कि किशनवीर और उनके किन-किन परिवार के खिलाफ मुकदमा मैंने लिखाया है। मुकदमा जरूर लिखाया है। प्रिया का अंतिम संस्कार उसकी ससुराल में ही हुआ था। अंतिम संस्कार के समय मैं, मेरा बेटा शुभम शामिल थे। प्रिया ने मुझसे अपने ससुराल वालों की कोई भी शिकायत नहीं की थी और न उसने कभी यह कहा कि मुझे अपने पति तथा ससुरालीजनों से अपनी जान का खतरा है। इस साक्षी को अभियोजन की

प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। जिरह के दौरान इस साक्षी ने यह बात कही है कि इस मुकदमें में पुलिस ने मुझसे कभी भी कोई भी पूछताछ नहीं की। गवाह को धारा161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया व समझाया गया कि ''मेरी नौ संताने.......उत्पीडन करने लगे। जिसकी शिकायत मेरी पुत्री....... दबाव बनाने लगे जिसका मेरी पुत्री ने पूरी तरह ....कोई जबाब नहीं दिया। मेरा पुत्र शुभम फरीदाबाद........... हत्या की है।'' सुनकर समझकर कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया कैसे लिख दिया मैं वजह नहीं बता सकती हूं। यह कहना सही है कि यह मुकदमा मेरे बेटे शुभम ने लिखवाया था। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर सच बात नहीं बता रही हूं। यह कहना भी गलत है कि मेरी बेटी का दाह–संस्कार उसके ससुरालीजनों ने चुपचाप कर दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी बेटी मुझसे अपनी ससुरालीजनों की शिकायत करती हो कि उसके ससुरालीजन उसके गर्भ को खत्म कराना चाहते हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी बेटी प्रिया को उसके ससुरालीजनों ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी हो। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह के दौरान इस साक्षी ने यह बात कही है कि मेरी पुत्री प्रिया ने अपने पति किशनवीर के साथ शादी के बाद से मृत्यु तक मधुर सम्बंध रहे थे। शादी के बाद प्रिया के जब भी मायके आयी। खुशहाली में आयी। प्रिया ने अपने पति किशनवीर, सास लीलावती व अन्य ससुरालीजनों द्वारा दहेज मांगने वाली बात मुझे नहीं बतायी थी। किशनवीर ने प्रिया के पेट दर्द की सूचना मुझे सुबह 5.00 बजे दी थी। सूचना पाकर मैं प्रिया की ससुराल गयी थी वहां से प्रिया को मैं मेरे परिवारीजन, किशनवीर व किशनवीर के परिवारीजन अस्पताल टूण्डला ले गये थे और फिर वहां से आगरा अस्पताल ले गये थे। आगरा अस्पताल जब मैं पहुंची तब मेरा बेटा शुभम भी आ गया था। आगरा अस्पताल में प्रिया को मैंने मेरे बेटे शुभम व किशनवीर ने भर्ती कराया था जब मैं प्रिया की ससुराल पहुंची थी मेरी प्रिया से बात हुई थी। उसने बताया था कि मेरे पेट में दर्द है और प्रिया के पेट के दर्द का ही इलाज अस्पताल आगरा में हुआ था। आगरा अस्पताल में प्रिया की मृत्यु के पश्चात उसकी लाश को मैं मेरा बेटा शुभम, किशनवीर मेरे परिवारीजन व किशनवीर के परिवारीजन छितरई प्रिया की ससुराल लेकर आये थे। प्रिया की लाश को अग्नि किशनवीर ने दी थी प्रिया के दाह संस्कार में मैं,मेरा बेटा शुभम मेरे परिवारीजन, किशनवीर, किशनवीर के परिवारीजन रिस्तेदार शामिल हुए थे। प्रिया की मृत्यु पेट दर्द

की बीमारी की वजह से हुई थी जिस दिन मैं प्रिया की ससुराल छितरई पहुंची थी तब से13 दिन तक मैं प्रिया की ससुराल छितरई में ही रही थी। मेरा बेटा शुभम भी वहीं रहा था। परिवार वाले आते जाते रहे थे। मुझे प्रिया ने कभी भी यह नहीं बताया कि किशनवीर या उसके परिवार के लोग उसके गर्भ को गिराना चाहते हैं, उसकी बेटी प्रिया ने कभी भी यह भी नहीं बताया था कि किशनवीर या उसके परिवार वालों ने कभी प्रिया पर बद चलनी का आरोप लगाया हो, कभी भी प्रिया ने मुझे यह भी नहीं बताया था कि किशनवीर के ऊषादेवी से अबैध सम्बंध हैं। मेरे पास दो बेटे हैं। जिनमें एक शुभम तथा दूसरा मनोज है। शादी के बाद मैं तथा मेरे बेटे प्रिया की ससुराल आते जाते थे कभी मेरे बेटों से मुझसे प्रिया ने किशनवीर, लीलावती या इनके घर वालों द्वारा दहेज मांगने की बात नहीं बतायी थी और न मुझसे व मेरे बेटों से किशनवीर, लीलावती व प्रिया के अन्य ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की कभी भी काई भी मांग नहीं की। मुझे कभी भी प्रिया ने फोन से या जुवानी यह नहीं बताया कि मेरे ससुरालीजन मेरे बच्चे की हत्या कर सकते है। शुभम को प्रिया की मृत्यु के 3–4 दिन बाद एक पुलिस वाला बुलाने आया था तब शुभम थाना पचोखरा गया था। मैंने किसी भी पुलिस के अधिकारी को यह नहीं बताया था कि प्रिया की हत्या किशनवीर या उसके परिवार वालों व लीलावती ने कर दी है और न मैंने किसी भी पुलिस के अधिकारी को यह बताया था कि प्रिया के ससुराल वाले किशनवीर, लीलावती अतिरिक्त दहेज की मांग करते हो तथा प्रिया को उत्पीडन करते हो। मैंने किसी पुलिस अधिकारी को यह भी नहीं बताया था कि प्रिया की हत्या किशनवीर, लीलावती व उसके ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण की हो और मैंने किसी पुलिस अधिकारी को यह भी नहीं बताया था कि प्रिया के ससुरालीजन प्रिया की हत्या करके कही भाग गये हैं और मैंने किसी भी पुलिस अधिकारी को यह भी नहीं बताया था कि प्रिया का पोस्ट मार्टम वगैर कराये दाह संस्कार करके घर छोड़ कर भाग गये हैं। प्रिया की शादी के बाद मुझे किशनवीर, लीलावती तथा उसके ससुरालीजनों ने मुझे कोई भी शिकायत नहीं रही थी मैं पहुंचने के13 दिन तक प्रिया की ससुराल में उसके घर पर ही रही थी मेरे सामने कभी किसी पुलिस अधिकारी ने प्रिया के कमरे में बैड पर गद्दे के नीचे रखे जहर के पाउच बरामद नहीं किया। मेरे बेटे शुभम ने प्रिया की मृत्यु के विषय में कोई रिपोर्ट थाना पर नहीं लिखायी थी। शुभम ने मुझे बताया था कि पुलिस वालों ने थाने पर टाइप

शुदा कागज पर मेरे दस्तखत करा लिये हैं।

पी०डब्लू०–3 कां० क्लर्क सेावरन सिंह जो एक औपचारिक गवाह है ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह बात कही है कि दिनांक 30.04.2017 को मैं थाना पचोखरा पर बतौर कां० क्लर्क तैनात था उस दिन वादी शुभम कुमार की टाइपशुदा तहरीर के आधार पर मैंने समय 17.30 अ०सं० 128/2017 धारा 498ए, 304बी, 201 भा०द०सं० व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया था और जी०डी० में मुकदमा कायमी का उल्लेख किया था। चिक प्रदर्श क–2 व नकल जी०डी० कायमी मुदकमा प्रदर्श क–3 को इस गवाह ने साबित किया है।

पी०डब्लू०–4 डा० मुकेश गोयल ने अपने शपथ पूर्वक बयान में यह बात कही है कि दिनांक 26.04.2017 को मैं गोयल सिटी हॉस्पीटल ट्रान्स यमुना रामबाग आगरा में उक्त हॉस्पीटल का प्रोपराइटर हूं और तैनात था उस दिन समय 10.50 ए०एम० पर प्रिया देवी पत्नी किशनवीर चौधरी गांव छितरई पोस्ट मौहम्मदाबाद जिला फिरोजाबाद को अपने अस्पताल में भर्ती गम्भीर हालत मं किया था। इनके पति किशन चौधरी, नौनिहाल चौधरी जेठ, ऊषा जिठानी ने भर्ती कराया था। इन्होंने बताया था कि प्रिया देवी ने कुछ खा लिया है मैने इलाज के लिये प्रिया देवी को भर्ती किया था। प्रिया देवी दो घन्टे दस मिनट मेरे अस्पताल में भर्ती रही थी और दिनांक 26.04.2017 को दोपहर 1.00 बजे प्रिया देवी की मृत्यु हो गयी थी। प्रिया देवी के भर्ती करते समय 11.30 बजे मैने पुलिस को सूचना दे दी थी। भर्ती करने का कागज जो मेरे द्वारा सार्टीफिकेट दिया गया था वह छायाप्रति 9अ/1 पत्रावलीर पर है तिाा पुलिस को दी गयी सूचना की छायाप्रति कागज संख्या 9अ/2 पत्रावली पर है। आज मुझसे कोई भी असल अभिलेख तलब नहीं किया गया था इसलिये आज में लेकर नहीं आया हूं। प्रिया देवी को बचाने का मैंने पूरा प्रयास किया था लेकिन वह बच नहीं सकी थी।

पी०डब्लू०–5 प्रेम प्रकाश यादव ने अपने शपथ पूर्वक बयान में यह बात कही है कि मैं दिनांक 01.05.2017 को सी०ओ० टूण्डला के पद पर तैनात था। उस दिन थाना पचोखरा पर दर्ज अ०सं० 128/2017 धारा 498ए,304बी,201 भा० द० सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। उस दिन मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण, नकल कायमी, बयान वादी, बयान

क्लर्क तथा वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या 5अ/1 मेरे हस्ताक्षर में है जिसकी में शिनाख्त करता हूं। इस नक्शानजरी पर प्रदर्श क–4 अंकित कियागया तथा बरामद एक रैपर खाली एल्मोनियम फोसफेट 56%जिसकी फर्द एस०ओ० ने तैयार की थी उसे सी०डी० में किता किया था। फर्द 6अ/1 पत्रावली पर है। उसी दिन गवाह शैलेन्द्र सिंह व सुरेश चन्द्र के भी बयान अंकित किये थे। दिनांक 11.05.2017 को बयान फर्द गवाह ओमप्रकाश व गवाह मुकेश के बयान अंकित किये थे। दिनांक 05.06.2017 को ब्यान श्रीमती अनीता देवी (मॉ मृतिका) के अंकित किये थे। दिनांक 26.06.2017 को अभियुक्तगण की तलाश एवं दविश दी गयी जो दस्तयाब नहीं हुए।दिनांक 30.06.2017 को अभियुक्तगण के लिये दविश दी गयी लेकिन दस्तयाब नहीं हुए। दिनांक 03.07.2017 को अभियुक्त किशनवीर के लिये दविश दी गयी लेकिन दस्तयाब नहीं हुआ। श्रीमती लीलावती और किशनवीर का आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2017 नियत थी। दिनांक 11.07.2017 को नकल रोपकार हाजिरी सी०जे०एम० न्यायालय से अभियुक्त किशनवीर का प्राप्त हुआ जिसे सी०डी० में किता किया दिनांक 13.07.2017 को शपथकर्ता विशम्बर दयाल, भोगीराम, दयाराम, अमर सिंह, विजयपाल सिंह, इन्द्रजीत के शपथपत्र प्राप्त हुए थे जिन्हें सी०डी० में किता किया था। दिनांक 13.07.2017 को बयान स्वतन्त्र गवाह रामप्रकाश, विजेन्द्र सिंह, भुवनेश, बयान नामित नौनिहाल सिंह, नामित ऊषादेवी, बयान नामित अंजली कुमार के बयान अंकित किये थे। अभियुक्त नौनिहाल सिंह, ऊषादेवी और कुमारी अंजली की नामजदगी गलत पायी गयी थी, उसके बाद गवाह का स्थानान्तरण हो गया। जिरह के दौरान इस साक्षी ने यह बात कही है कि घटना दिनांक 26.04.2017 समय अज्ञात की है इसकी एफ०आई०आर० दिनांक 30.04.2017 को समय 17.30 बजे दर्ज हुई थी।

पी०डब्लू०–6 धर्मेन्द्र कुमार यादव ने अपने शपथ पूर्वक बयान में यह बात कही है कि मैं दिनांक 17.07.2017 को बतौर क्षेत्राधिकारी टूण्डला पूर्व विवेचक श्री प्रेमप्रकाश यादव के स्थानान्तरण के उपरान्त तैनात था तथा इस अभियोग की विवेचना मैंने 17.07.2017 को ग्रहण की थी जिसमें मैने पर्चा नं०–9 दिनांक 17.07.2017 को किता किया था जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा सी०डी० किता का अवलोकन किया था।

दिनांक 28.07.2017 को पर्चा नं०.10 किता किया था जिसमें अभियुक्ता श्रीमती लीलावती पत्नी विद्याराम निवासी छितरई थाना पचोखरा द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया भेजे जाने का विवरण अंकित किया था। दिनांक 08.08.2017 को पर्चा नं० 11 किता किया था जिसमें न्यायालय से अभियुक्तगण किशनवीर सिंह व श्रीमती लीलावती के जिला कारागार में जाकर बयान अंकित करने हेतु अनुमति प्राप्त किया था। दिनांक 10.08.2017 को पर्चा नं०–12 किता किया था जिसमें अभियुक्त किशनवीर व लीलावती के बयान अंकित किये थे दिनांक 20.08.2017 को पर्चा नं० 13 किता किया था जिसमें इलाज करने वाले डाक्टर श्री मुकेश गोयल का बयान अंकित किया था तथा तमाम साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण किशनवीर व लीलावती के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। आरोपपत्र पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/1 दाखिल है जो कम्प्यूटराइज्ड प्रदर्श क–5 है जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है जिरह के दौरान इस साक्षी ने यह बात कही है कि मैंने अपनी विवेचना के दौरान इस केस में किसी वस्तु, रूपया, आदि की मांग होना नहीं पाया है। यह भी सही है कि धारा 498ए भा०द०सं० के लिये किसी वस्तु, अथवा रूपया आदि की मांग होना आवश्यक है। गवाह ने यह भी कहा है कि यह भी सही है कि धारा 304बी भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिये भी इसी प्रकार से रूपया अथवा किसी वस्तु की अतिरिक्त दहेज की मांग व उसके लिये उत्पीडन होना आवश्यक है।

डी०डब्लू०–1 मुकेश कुमार ने अपने बयान में यह बात कही है कि मैं किशनवीर और लीलावती को जानता हूं। किशनवीर की पत्नी का नाम प्रिया था। प्रिया देवी की मृत्यु पेट में दर्द होने के कारण हुई थी। प्रिया देवी का इलाज प्रिया देवी के ससुरालीजन व मायके वालों ने आगरा अस्पताल में कराया था। प्रिया देवी अपने पति के साथ अपने सास–ससुर व जेठ जिठानी से अलग रहती थी। इसलिये उसका खाना पीना अलग बनता था। प्रिया देवी अपनी शादी से करीब तीन माह बाद ही अपने पति के साथ अलग रहने लगी थी। प्रिया देवी व किशनवीर जिस मकान में रहते थे उसके मकान के दक्षिण में जसवीर सिंह का मकान है तथा पश्चिम में गली है तथा उत्तर में गली है तथा पूर्व में रामकिशन का मकान है। इस मकान के पश्चिम में गली के बाद वाले मकान में किशनवीर के भाई नौनिहाल

सिंह व उनकी पत्नी ऊषा देवी निवास करते है। मैं जन्म से ही छितरई गांव में ही निवास कर हरा हूं। इस घटना की बाबत विवेचक ने मेरा कोई भी बयान नहीं लिया था। विवेचक ने मेरे व मेरे चाचा ओमप्रकाश के कौरे कागज पर हसताक्षर करा लिये थे यह कौरे कागज पर हस्ताक्षर यह कहकर कराये थे कि सूचना मिली है कि प्रिया देवी की मृत्यु हो गयी है इस कारण फोरमलिटी पूरी करने आये है। मेरे सामने व मेरे चाचा ओमप्रकाश के सामने सी०ओ० साहब आये किसी पुलिस अधिकारी ने खाली रैपर सल्फास का श्रीमती प्रियादेवी के मकान में पड़े बैड के गद्दे के नीचे से बरामद नहीं किया था और ना इस प्रकार के रैपर के विषय में मेरे सामने कोई लिखा पढ़ी पुलिस ने की थी। श्रीमती प्रिया देवी की मृत्यु स्वाभाविक पेट के दर्द के कारण हुई थी। प्रिया देवी को उसके पति किशनवीर, सास लीलावती ने कभी भी अतिरिक्त दहेज के लिये उत्पीडित नहीं किया और ना ही उसे जहर दिया था। प्रिया देवी ने उत्पीड़न के कारण स्वयं जहर का सेवन भी नहीं किया था। प्रिया देवी व उसके मायके वालों से किशनवीर व लीलावती ने कभी भी अतरिक्त दहेज में किसी वस्तु व रूपया पैसे की मांग नहीं की थी। मैं तथा गांव वाले प्रिया देवी की अन्तेस्टी में प्रिया देवी के पति किशनवीर ससुर विद्याराम, जेठ नौनिहाल, प्रिया देवी का भाई शुभम मायके के काफी लोग व रिस्तेदार शामिल हुए थे। प्रिया देवी की चिता को उसके पति किशनवीर ने दाग लगायी थी। दाह संस्कार के13 दिन तक किशनवीर, किशनवीर के परिवारीजन प्रिया देवी का भाई शुभम व अन्य मायके वाले गांव छितरई में ही उपस्थित रहे थे और बैठा–उठी की थी। मैंने अपने बयान में विवेचक को यह नहीं बताया था कि दिनांक 26.04.2017 को किशनवीर की पत्नी श्रीमती प्रिया की संन्देह जनक परिस्थितियों में जहर से मृत्यु हुयी थी। मैंने विवेचक को यह भी नहीं बताया था कि प्रिया के बैड पर पड़े गद्दे के नीचे से खाली रैपर सल्फास बरामद हुआ है और पुलिस ने कब्जे में लिया हो यह भी नहीं बताया था कि दरोगाजी ने खाली रैपर सल्फास की फर्द बनायी हो और मेरे हस्ताक्षर कराये हो। विवेचक ने कैसे लिख दिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूं। यह बात सही है कि प्रिया देवी की नैचुरल मृत्यु हुई है। यह बात सही है कि किशनवीर व लीलावती से गांव की प्रधानी की चुनावी रंजिश के कारण इस केस में झूठा फसाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा शुभम की बहन प्रिया की शादी दिनांक 16.04.2016 को

अभियुक्त किशनवीर पुत्र विद्याराम निवासी गांव छितरई थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद के साथ हुयी थी, उसके ससुरालीजन दहेज में दिये गये सामान से सन्तुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे, मांग पूरी न करने पर अभियुक्तगण ने मिलकर जबरदस्ती जहर खिलाकर मृतिका की हत्या दिनांक 26.04.2017 को कर दी और साक्ष्य को मिटाने/छिपाने के आपराधिक आशय से उसके शव को बिना पोस्टमार्टम कराये वादी के परिवार के पहुंचने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया। वादी ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण किशनवीर व श्रीमती लीलावती के विरूद्ध धारा 498A,304B,201 भा०दं०सं०व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अपने केस को साबित करने के लिये पी०डब्लू०-1 शुभम, पी०डब्लू०-2 श्रीमती अनीता देवी, पी०डब्लू०-3 कां० सोवरन सिंह, पी०डब्लू०-4 डा० मुकेश गोयल, पी०डब्लू०-5 क्षेत्राधिकारी प्रेमप्रकाश यादव, पी०डब्लू०-6 क्षेत्राधिकारी धर्मेन्द्र कुमार यादव को न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रपत्रों को साबित किया गया है। अभियुक्तगण के घर में मृतिका की मृत्यु संदिग्घ परिस्थितियों में उसके विवाह के एक वर्ष के अन्दर जहर खाने से हुयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 498A,304B,201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप धारा 302 सपठित धारा 34 भा०द०सं० सिद्ध है। अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह पी०डब्लू०-1 शुभम, पी०डब्लू०-2 श्रीमती अनीता देवी प्रस्तुत किये गये है में से किसी गवाह ने अभियोजन पक्ष के केस का समर्थन नहीं किया है और न ही न्यायालय में ऐसी बात कही है कि उन्होंने अभियुक्तगण के द्वारा मृतिका की हत्या करते हुए देखा हो तथा किसी भी गवाह ने न्यायालय में ऐसा बयान नहीं दिया कि मृतिका को मृत्यु से पूर्व अभियुक्तगण ने मृतिका से अतिरिक्त दहेज की मांग की हो और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताडित किया हो तथा जहर खिलाकर उसकी हत्या की हो। अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतिका के पेट में दर्द होने के कारण डाक्टर के यहां इलाज कराते समय मृतिका की स्वाभाविक मृत्यु हुई है।

प्रस्तुत मामले में किसी गवाह ने अभियोजन पक्ष के केस का

समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य से यह बात सिद्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने मृतिका की मृत्यु से पूर्व उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की हो और अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसको प्रताड़ित किया गया हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि मृतिका की मृत्यु विवाह के एक वर्ष के अन्दर उसकी ससुराल में असमान्य परिस्थितियों में जहर खाने से हुयी है। ऐसी स्थिति में धारा 304 बी भा०द०सं० का अपराध बनता है और अभियुक्तगण दहेज मृत्यु धारा 304 बी भा०द०सं० के अपराध के दोषी है। धारा–304 बी भा०द०सं० के अपराध के लिये जो परिभाषा भा०द०सं० में दी गयी है वह निम्न प्रकार है–

304 ख दहेज मृत्यु –(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये या उसके सम्बंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को '' दहेज मृत्यु'' कहा जोयगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू०–1 शुभम मृतिका का भाई है और पी०डब्लू०–2 श्रीमती अनीता देवी मृतिका की माँ है। दोनों गवाहान में से किसी भी गवाह ने न्यायालय में ऐसा बयान नहीं दिया कि अभियुक्तगण ने मृतिका से उसकी मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की हो और उसे तंग व परेशान किया हो। अतः ऐसी दशा में धारा113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्तगण ने मृतिका की दहेज मृत्यु कारित की, क्योंकि मृतिका की मृत्यु से ठीक पहले अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग किये जाने व दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित करना किसी भी गवाह ने न्यायालय में नहीं कहा है।

कोई ऐसी भी साक्ष्य **पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विषरा इत्यादि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य** न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि अभियुक्तगण के द्वारा ही मृतिका की मृत्यु जहर देकर की गयी। डाक्टर साक्षी पी०डब्लू०–4 मुकेश

गोयल ने अपने बयान में जिरह के पेज 2 पर यह बात कही है कि ''मैं ब्लड का सैम्पिल न लेने की स्थिति में और जॉच न कराने की स्थिति में नहीं कह सकता कि प्रिया देवी द्वारा कोई जहरीली चीज खायी गयी है। इस संदर्भ में मुझसे कोई पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ नहीं की गयी।'' अतः ऐसी दशा में धारा 302 भा०द०स० का लगाया गया आरोप भी अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध नहीं है।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने साक्ष्य को मिटाने/छिपाने के आपराधिक आशय से प्रिया के शव को बिना पोस्टमार्टम कराये वादी के परिवार के पहुंचने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया। इस सम्बंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-1 शुभम व पी०डब्लू०-2 श्रीमती अनीता देवी को परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू०-1 शुभम ने अपने बयान में यह बात कही है ''जिस दिन बहिन प्रिया को अस्पताल आगरा में भर्ती कराया था उसी दिन मेरी बहन प्रिया की मृत्यु हो गयी थी। बहिन की मृत्यु के बाद बहिन की लाश को मैं, मेरी मॉ मेरे परिवार के लोग व बहनोई किशनवीर व किशनवीर के परिवार के लोग तथा रिश्तेदार शामिल थे। बहिन की लाश को मुखागिनी (दाग) किशनवीर ने लगाया था मेरी मॉ व मेरे परिवार के लोग भी वहीं रहे थे और आते जाते रहे थे। इसी प्रकार पी०डब्लू०-2 श्रीमती अनीता देवी ने अपने बयान में यह बात स्वीकार की है कि प्रिया का अंतिम संस्कार उसकी ससुराल में ही हुआ था। अंतिम संस्कार के समय मैं, मेरा बेटा शुभम शामिल थे। इस प्रकार घटना की रिपोर्ट घटना के चार दिन बाद दर्ज किया जाना तथा उक्त सभी तथ्यों से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य को मिटाने/छिपाने के आपराधिक आशय से प्रिया के शव को बिना पोस्टमार्टम कराये वादी के परिवार के पहुंचने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया।

पी०डब्लू०-1 शुभम, पी०डब्लू०-2 श्रीमती अनीता देवी ने ऐसी कोई बात न्यायालय में नहीं कही कि अभियुक्तगण ने मृतिका से मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग की हो और उसको दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया हो। दोनों गवाहों ने अपने बयानों में यह बात स्वयं स्वीकार की है कि मृतिका की मृत्यु स्वाभाविक पेट दर्द होने के कारण हुई थी। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से संदेह की सीमा से परे यह बात सिद्ध नहीं होती है कि अभियुक्तगण ने मृतिका से मृत्यु से पूर्व अतिरिक्त दहेज की मांग की हो और मांग पूरी न करने पर

उसको प्रताड़ित किया गया हो और जबरदस्ती जहर खिलाकर उसकी हत्या की हो और साक्ष्य को मिटाने/छिपाने के आपराधिक आशय से प्रिया के शव को बिना पोस्टमार्टम कराये वादी के परिवार के पहुंचने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया हो। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण किशनवीर व श्रीमती लीलावती के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 498A, 304B/34, 201,302/34 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम संदेह सीमा से परे सिद्ध नहीं होते हैं। अभियुक्तगण किशनवीर, श्रीमती लीलावती उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 498A, 304B/34,201, 302/34,भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण किशनवीर, श्रीमती लीलावती को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 498A, 304B सपठित 34, 201, 302 सपठित 34 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता श्रीमती लीलावती प्रस्तुत मामले में जमानत पर हैं, उसके बन्धपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त किशनवीर प्रस्तुत मामले में जेल में निरूद्ध है, उसका रिहाई आदेश बनाकर तत्काल जेल भेजा जाये। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाये।

अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अन्तर्गत पचास–पचास हजार रूपये के दो–दो जमानती व इसी धनराशि का निजी बन्धपत्र अन्दर सप्ताह इस आशय का प्रस्तुत करें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में योजित की जाती है, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तलब किये जाने पर वह माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनाँकः 24-11-2018

(इन्द्रीश कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनाँकः 24-11-2018

(इन्द्रीश कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।